18/2/21 वकील कादी 300/ वादी ने प्रति सं. 2 आ०4
की तामीली हेतु तामीलात वर्ष 2017 से अनेक
अवसर प्रदान किये तथा दि० 16/1/19 को न्यायालय
मे अन्तिम मौका व दि० 21/11/20 को रजिस्टर्ड
एडी तामीलात पेश करने हेतु न्यायालय मे एक
और अन्तिम अवसर दिया गया लेकिन वादी
ने तामीली हेतु तामीलात पेश नही किये अतः
बाद वादी अन्तर्गत O9 R05 CPC के तहत
खारिज मुकदमा मे बाबिज किया जाता है पत्रावली
नम्बर से कम होकर बाद मुकदमा दाखिलदफ्तर
हो सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 12:25:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner